

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016—भाद्र 18, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. बी-4-11-2016-2-पांच (23).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का दो) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शहडोल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीन-तिमाही में जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा अर्थात्:—

- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान समेकित रीति से कर दिया गया है। ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा।
- (2) मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपए 60 लाख (रुपए साठ लाख) केवल के भुगतान के चालान की प्रति परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, जबलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है समाप्त होने के तुरन्त बाद, बीमित राशि की पॉलिसी क्रमांक तथा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी, क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-बी-4-10-2016-2-पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-10-2016-2-पांच (23), दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव।

Bhopal, the 9th September 2016

No.B-4-11-2016-2-V-(23).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Gwalior during the three quarter of financial year 2016-17 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions, namely:—

(1) It shall be indicated by an endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the consolidated manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.

(2) A copy of the Challan of payment of consolidated amount of Rs. 70 Lakhs (Rupees Seventy Lakhs) only, in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Three Quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Gwalior.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp Duty paid on the policies at the end of Three quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.